66

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एस.एस. अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक-1033-दो/2006 विरूद्ध आदेश दिनांक 10-03-06 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग का प्रकरण क्रमांक 385/अपील/1999-00

.....

1- कौशल प्रसाद
2- शोभनाथ
3- सुदामा, पुत्रगण
निवासी- ग्राम बरमा तहसील मैहर
जिला-सतना (म.प्र.)

----------आवेदकगण

विरूद्ध

1- मुस. सोहवतिया बेवा विशाली तेली
2- मुस. केशरबाई पत्नी रामदास पुत्री विशाली तेली
3- मुस. रामबाई पत्नी लालजी पुत्री विशाली तेली
4- श्यामबाई पुत्री विशाली तेली
निवासी- बेरमा तहसील मैहर, जिला-सतना
5- मुस. लीलाबाई बेवा शोभनाथ तेली
6- जगदीश प्रसाद
7- रमेश प्रसाद
8- रामखेलावन
9- राज कुमार
10- राकेश प्रसाद
11- शिवकान्त
12- खुल्ला
13- रामावतार, पुत्रगण शोभनाथ तेली
14- मुंशी तनय बैजनाथ तेली

निवासीगण-ग्राम घुनवारा मैहर,
जिला-सतना (म.प्र.)

----------अनावेदगण

.....

श्री के.के. द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/4/18 को पारित)

यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 10-03-2006 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम बेरमा तहसील मैहर स्थित प्रश्नाधीन भूमि खसरा नं. 2378 रकबा 1 बीघा 17 विश्वा का नामांतरण किये जाने हेतु आवेदकगण ने विचारण न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। जहॉ विचारण न्यायालय ने दिनांक 31-07-98 को नामांतरण आदेश पारित किया । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी मैहर के समक्ष अपील पेश की । जहॉ अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण क्रमांक 145/अपील/1997-98 में पारित दिनांक 24-04-2000 से प्रत्यार्वतन आदेश पारित किया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अपर आयुक्त रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की । अपर आयुक्त रीवा ने प्रकरण क्रमांक 385/अपील/1999-00 पर पंजीबद्ध कर दिनांक 10-03-2006 से अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को विधिवत माना है तथा आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत अपील को सारहीन मानकर निरस्त किया है। अपर आयुक्त के इसी आदेश से परिवेदित होकर आवेदकगण द्वारा निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों तर्क श्रवण किये गये।

4/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का अवलोकन किया गया । प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि वर्ष 1958-59 जमाबंदी में ताद तर्ज है। तिशाली तेली

जिसके द्वारा भूमि विक्रय की गई है, वह खतौनी के खेतिहार के कॉलम नं. 4 में दर्ज है। रीवा राज्य कानून मार्ग की धारा 57(4) के अंतर्गत बाग की भूमियों को पटटेदार कृषक के स्वत्व की नहीं कही जा सकती है । इसी कारण वाद की भूमि विक्रय करने का अधिकार नहीं है। वर्ष 1953 के विक्रय विलेय के आधार पर 1984 में नामांतरण की कार्यवाही किया जाना संदिग्ध प्रतीत होता है, किन्तु विचारण न्यायालय ने आवेदकगण के नामांतरण आवेदन पत्र को स्वीकार किया है, जो उचित प्रतीत नहीं होता। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश में अवैधानिकता प्रकट होती है, जिसे अनुविभागीय अधिकारी मैहर एवं अपर आयुक्त रीवा ने निरस्त किया है।

5/ उपरोक्त् विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 10-03-2006 स्थिर रखा जाता है।

(एस.एस. अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश
ग्वालियर,